# न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – पंकज बडगूजर(RAS)

अनुवानी वाद :– सत्यनारायण बनाम बाबूलाल व अन्य

दावा तकासमा मय हुक्मईम्तनाई दवामी<br>
प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व<br>
आदेश 22 नियम 9 व धारा 151 जा0दी0

उपस्थिति :– श्री सुभाषचन्द शर्मा – वकील वादी

श्री अजयकृष्ण व्यास – वकील प्रतिवागण

–:निर्णयः–

दिनांक :– 03.06.2022

आज यह पत्रावली सुनाये जाने निर्णय प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व आदेश 22 नियम 9 व धारा 151 जा0दी0 के पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये। वादीगण का आराजी खसरा नम्बर 907 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा, 991 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, 953 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 992/1163 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा व 988 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम पेहल तहसील मुण्डावर के बाबत दावा इश्तकरारहक बम्य तकासमा आराजी का प्रस्तुत होकर वर्ष 1994 से विचाराधीन रहा है। दौराने सुनवाई वारीसान वादी की ओर से दिनांक 11.02.2022 को वादी सत्यनारायण की मृत्यु दिनांक 26.09.2020 को हो जाने की सूचना के साथ अन्तर्गत धारा आदेश 22 नियम 3 व आदेश 22 नियम 9 व धारा 151 जा0दी0 के बाबत की प्रार्थना पत्र पेश हुई। मुताबिक प्रार्थना पत्र वादी सत्यनारायण की मृत्यु दिनांक 26.09.2020 को हो जाना अंकित करते हुये जायज वारीसान अंकित किये जाकर प्रार्थी/वादी द्वारा पिता का एक वाद सत्यनारायण बनाम बाबूलाल अनुवानी [illegible] होना तथा मिन वादी को उक्त वाद की कोई जानकारी [illegible] कोविड महामारी के कारण सम्पूर्ण भारत वर्ष में अदालती कार्य [illegible] अंकन करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मृतक वादी सत्यनारायण के वारीसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:44:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर<br>
मुण्डावर (अलवर) राज०

रहा। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ वादी के वारिस पुत्र अजय द्वारा शपथ पत्र के साथ–साथ प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पेश किया गया है। जो शामिल पत्रावली किया गया। नकल वकील प्रतिवादी को उपलब्ध कराई गई उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब वकील प्रतिवादी द्वारा दिनांक 25.03.2022 को प्रस्तुत किया गया। मुताबिक जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व आदेश 22 नियम 9 व धारा 151 जा0दी0 के बिन्दूओं को अस्वीकार करते हुये जवाब का सारतः रहा कि बकोल प्रार्थी वादी सत्यनारायण पुत्र भगवान सहाय की मृत्यु होना दिनांक 26.09.2020 दर्ज प्रार्थना पत्र बिना असल अथवा असल सत्यप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न कर पेश किये प्रस्तुत की गई है जो काबिले यकीन अथवा विश्वसनीय कानूनन नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा मृतक के वारीसान के संबंध में भी कोई वारिस प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके बिना वारीसान के संबंध में तय नही किया जा सकता कि प्रार्थना पत्र हाजा में प्रस्तुत में अंकित वारीसान के अलावा कोई अन्य वारीसान नहीं है इस सूरत में भी काबिल स्वीकार नहीं है साथ ही वारीसान वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मृत्यु की तारीख 26.09.2020 दर्ज की गई है। उससे वाद वादी स्वतः अबैट हो चुका है। जिसके लिये कानूनन अबैटमेन्ट की आदेश की आवश्यकता नहीं है। चूँकि दिनांक 26.09.2020 की नियत अवधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। जहां तक कानूनी प्रावधानों का प्रसंग है प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में आदेश 22 नियम 3 व 9 व धारा 151 जा0दी0 के प्रावधान भिन्न–भिन्न है अंकित करते हुये प्रार्थना पत्र कानूनन मन्टेनेबल नहीं है चूँकि दोनो अलग–अलग सब्जेक्ट व रिलीफ अनुतोष एक ही प्रार्थना पत्र में नहीं दिये जा सकते, अलग–अलग प्रार्थना पत्र होना कानूनन आवश्यक है अंकित करते हुये वादी का प्रार्थना पत्र अबैटमेन्ट में खारिज फरमाया [illegible] साथ ही निवेदन किया कि यद्यपि प्रार्थी दिनांक 22.10.2021 को जा[illegible] करता है इसके बावजूद भी मियाद बाहर प्रस्तुत प्र[illegible] चूँकि उक्त तारीख से भी 90 दिवस के अन्दर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इसप्रकार वाद वादी स्वतः ही विधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:44:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

प्रावधानों के तहत अबैट हो चुका है एवं पृथक से अबैटमेन्ट को सैटासाईड कराने का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है अंकित करते हुये जिस वक्त वादी की मृत्यु होना प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है उसे पूरे वर्ष 2020 व 2021 में फिजीकल कार्य न्यायालय में हुये है प्रार्थी ने न्यायालय श्रीमान को गुमराह करने के लिये गलत तथ्य दर्ज दरख्वास्त की है व स्वतः ही वादपत्र अबैटमेन्ट में खारिज होने व अबैटमेन्ट को सैटासाईड के बिना काबिल खारिज है। ऐसी सूरत में मृतक वादी के वादी के वारीसान रिकॉर्ड पर कानूनन नहीं लिये जा सकते आदि–आदि का निवेदन करते हुये उक्तानुसार मय हर्जे–खर्चे प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन रहा।

वकील उभयपक्षकारान की प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व आदेश 22 नियम 9 व धारा 151 जा0दी0 पर बहस सुनी गई एवं पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया मुताबिक मृत्यु दिनांक 26.09.2020 दर्ज प्रार्थना पत्र बिना असल अथवा असल सत्यप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न कर पेश किये प्रस्तुत की गई है जो काबिले यकीन अथवा विश्वसनीय कानूनन नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा मृतक के वारीसान के संबंध में भी कोई वारिस प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाना। प्रार्थना पत्र में मृत्यु की तारीख 26.09.2020 दर्ज किया जाना जिसके मुताबिक वाद वादी स्वतः अबैट होना एवं जिसके लिये कानूनन अबैटमेन्ट की आदेश की आवश्यकता नहीं होना तथा प्रार्थी को दिनांक 22.10.2021 को जानकारी होने के संबंध में मिथ्या उल्लेख किया जाना इसके बावजूद भी मियाद बाहर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खरिज योग्य होना। चूँकि उक्त तारीख से भी 90 दिवस के अन्दर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इसप्रकार प्रार्थी द्वारा पृथक से अबैटमेन्ट [illegible] प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में वादी के वाद [illegible] विधिक प्रावधानों के तहत अबैट योग्य पाये की स्थिति में प्रस्तुत [illegible] नियम 3 व आदेश 22 नियम 9 व धारा 151 जा0दी0 को काबिल खारिज पाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:44:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

## –:आदेश:–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/वादी के प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व आदेश 22 नियम 9 व धारा 151 जा0दी0 को खारिज योग्य पाये जाने की स्थिति में खारिज किया जाता है साथ ही वादी के वाद को अबैटमेन्ट में खारिज किया जाता है।

**यह प्रार्थना पत्र निर्णय आज दिनांक 03.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर, खुले न्यायालय सुनाया गया।**

3-6-2022

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर
जिला अलवर(राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:44:21 IST
Reason: SelfAttested